# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 52/2018**

**अनवान :**

1. राधेश्याम पुत्र रूलीचंद जाति महाजन निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सुभाष पुत्र रूलीचंद जाति महाजन निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

**– प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व, भादरा।
2. ग्राम पंचायत छानीबड़ी जरिऐ सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी पंचायत समिति, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

**– अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृत करने**

**उपस्थिति :** वकील श्री संदीप गोदारा **: प्रार्थीगण**

वकील श्री प्रभुराम गोदारा – **अप्रार्थी सं0** 2

**निर्णय** **दिनांक :** 21.2.19

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 93/85 के मुरबा नं0 33 के किला नं0 2 की 0.253 है0, किला नं0 9 की 0.253 है0, किला नं0 12 की 0.253 है0, किला नं0 20 की 0.253 है0 मु0नं0 43 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 10 की 0.253 है0, किला नं0 11 की 0.253 है0 कुल भूमि 2.024 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 राधेश्याम पुत्र रूलीचंद के नाम से दर्ज है एवं चक 2 जोगीवाला के खाता सं0 131/118 के मु0नं0 33 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 है0 मु0नं0 43 के किला नं0 1, 10, 11 की कुल 0.759 है0 कुल क्षेत्रफल 2.024 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सुभाषचन्द्र पुत्र रूलीचंद महाजन के नाम से खातेदारी दर्ज है।

अप्रार्थी सं0 2 के नाम चक 2 जोगीवाला के खाता सं0 137/125 के मुरबा नं0 33 के किला नं0 3 ता 8 की 1.518 है0, किला नं0 13 ता 18 की 1.518 है0, किला नं0 23, 24, 25 की 0.759 है0, कुल 3.795 है0, जिसमें से नहरी 3.756 है0, गैर मुमकिन रास्ता 0.039 है0 जो ग्राम पंचायत छानीबडी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है।

वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आने जाने के लिए चक 2 जोगीवाला के खाता सं0 137/125 में मुरबा नं0 33 के किला नं0 23, 24 व 25 में दक्षिणी हिस्से की तरफ 1–1 बिस्वा चोड़ा रास्ता स्वीकृत किया हुआ है उक्त रास्ता जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि वाके चक 2 जोगीवाला में खाता सं0 131/118 में स्थित 2.024 है0 में खाता सं0 93/85 में 2.024 है0 में आवागमन करते आ रहे है। परन्तु सीएडी विभाग ने उक्त रास्ते के चिपते हुए सींव पर पूर्व से पश्चिम खाले का निर्माण कर दिया तथा किला नं0 25 के कोने पर पुली बना दी उक्त पुली का निर्माण होने से प्रार्थीगण अपने खेत में ट्रैक्टर, जीप ऊंट गाडा इत्यादि साधन ले जाने में एवं ट्रैक्टर ट्राली आदि घुमाव करने में बाधा पहूंचती है तथा हर समय दुर्घटना होने की संभावना रहती है क्योंकि पुली बनने से किला नं0 25 पर 3 से 5 फुट की ढलान हो गई है जिससे साधनों को गोल

उपखण्डाधिकारी (राज0)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आकार में घूमना पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण मुरबा नं0 33 के किला नं0 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता के अलावा उसके चिपते हुए 16.5 फीट चौड़ा एवं 41.25फीट लम्बा कुल 680.25 वर्गफीट रास्ता पश्चिम से पूर्वी की ओर स्वीकृत करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के बदले में प्रार्थीगण डीएलसी दर से कीमत जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया एवं अप्रार्थी सं0 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 2 जोगीवाला के खाता सं0 137/125 के मु0नं0 33 के किला नं0 23, 24, 25 में दक्षिणी हिस्से की तरफ 1 – 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृतशुदा है एवं किला नं0 25 में प्रवेश करते समय साधन को गोल आकार में घुमाना पड़ता है जिसके लिऐ जगह नहीं है इसके लिए प्रार्थीगण किला नं0 25 के दक्षिण पूर्व कोने पर स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा कोने पर 16.5 फुट चौड़ा, 41.5 फुट लम्बाई में यानि 680 वर्गफुट यानि आधा बिस्वा रास्ता पश्चिम से पूर्व की ओर स्वीकृत करवाना चाहते है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जरिऐ क्रमांक 178 दिनांक 24.08.2018 को एक प्रस्ताव संख्या 2/06.08.2018 लिया गया था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि भरवाकर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मु0नं0 33 के किला नं0 25 में दक्षिणी हिस्से की तरफ दक्षिणी पूर्वी कोने में पूली के नजदीक वर्तमान में स्वीकृत रास्ता के अलावा उसके चिपते हुए 16.5 फीट चौड़ा एवं 41.25 फीट लम्बा रास्ता पश्चिम से पूर्व की ओर स्वीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण किला नं0 25 के दक्षिण पूर्व कोने पर स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा कोने पर 16.5 फुट चौड़ा, 41.5 फुट लम्बाई में यानि 680 वर्गफुट रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जरिऐ क्रमांक 178 दिनांक 24.08.2018 को एक प्रस्ताव संख्या 2/06.08.2018 लिया गया था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि भरवाकर रास्ता स्वीकृत कराने के लिए स्वतंत्र है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण ने पूर्व में चालू रास्ता की चौडाई बढाने का निवेदन किया है। जहां से रास्ता चाहा गया है वह ग्राम पंचायत के नाम दर्ज सार्वजनिक राजकीय भूमि है। रास्ता भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज होना है। रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण के साथ साथ चक के सभी काश्तकारों द्वारा किया जाना है। प्रार्थीगण रास्ता के बदले डीएलसी दर से दोगुनी राशि का भुगतान करने को तैयार है। रास्ता के नाम दर्ज होने वाली भूमि किसी निजि काश्तकार के नाम दर्ज नहीं होगी वरन् गै0मु0रास्ता के नाम दर्ज होगी। पुलिया का निर्माण होने के कारण व ऊंचाई के कारण रास्ता की चौड़ाई बढाना न्यायोचित प्रतीत होता है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 की प्रति पेश की है स्पष्ट किया गया है कि **"उक्त समस्या के समाधान के लिऐ यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहूंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए सक्षम अधिकारी**



उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

**द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जावे कि मार्ग की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में राजस्थान स्टाम्प एक्ट नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के तहत कृषि भूमि की दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे व रास्ते के लिए प्रदत की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित की जाऐगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।"** अप्रार्थी सं0 1 राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा व अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत छानीबड़ी जरिऐ सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी पंचायत समिति भादरा द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के विपरित तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गए है। अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की नकल संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को चक 2 जोगीवाला के खाता सं0 137/125 में स्थित मुरबा नं0 33 के किला नं0 25 में दक्षिणी हिस्से की तरफ दक्षिणी–पूर्वी कोने में पूली के नजदीक वर्तमान में स्वीकृत रास्ते के अलावा उसके चिपते हुए 16.5 फीट चौड़ा एवं 41.25 फीट लम्बा कुल 680.25 वर्गफीट रास्ता पश्चिम से पूर्व की ओर स्वीकृत किया जाता है एवं राजस्थान स्टाम्प एक्ट नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के तहत रास्ता में गई भूमि की एवज में भूमि की डीएलसी दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर राजकोष में जमा करवा कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ